(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सूखा ग्रस्त तथा कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण इस सप्लाई की परियोजना पूर्व-मूल्यांकन अवस्था में है। लगाए जाने वाले नलकूपों की संख्या सहित ब्यौरे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही पता चल सकेंगे। यह परियोजना संभवतः राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों सहित 28 जिलों के 3321 गांवों के लिये होगी।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों, जिनमें सूखा प्रभावित और कम जल सप्लाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है। बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए जाने वाले गांवों बस्तियों को कवरेज का लक्ष्य वार्षिक योजना परिव्ययों में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भूमि की अधिकतम सीमा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता

2038. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम के अधीन भूमि के आवंटितियों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1975-76 से अब तक केन्द्रीय अंश के रूप में 761.95 लाख रुपये की राशि दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर का अंशदान किया जाता है।

ग्रामीण युवाओं हेतु परियोजना आधारित रोजगार

2039. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें परियोजना आधारित कार्यों को आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी योजना किन-किन स्थानों पर आरम्भ की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) का उद्देश्य 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है ताकि उद्योग, कृषि और संबंध क्षेत्र, उद्योग, सेवा तथा व्यावसायिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर सके। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों की भी अनुभूति है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र ग्रामीण युवाओं द्वारा सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं अथवा लाभार्थियों की सहकारी/पंजीकृत निकाय द्वारा सामूहिक कार्य जैसी कुछेक परियोजना आधारित योजनाएं भी शुरू की जा सकती है।

(ग) ट्राइसेम योजना को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना द्वारा सृजित रोजगार

2040. श्री वीरेन जे0 शाह :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतम अवसरों का सृजन करने हेतु जवाहर रोजगार योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान देश में विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का भी उपयोग नहीं किया जा सका है और इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाले श्रम-दिवसों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान जवाहर योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया जायेगा और इसी अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत उनके लिए कितने श्रम-दिवसों का सृजन किये जाने की योजना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त, रोजगार जुटाने के लिये क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) 31-3-93 की स्थिति के अनुसार 1992-93 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 2034.44 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी । इसके मुकाबले राज्य सरकारों को 507.67 करोड़ रुपये का अपना मैचिंग अंश भी रिलीज करना था । इस तरह से 1992-93 के दौरान 2542.11 करोड़ रुपये की कुल रिलीज थी । राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1992-93 के दौरान अभी तक 2464.61 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए गए हैं ।

जहां तक रोजगार सृजन का संबंध है, जवाहर रोजगार योजना के तहत 753.79 मिलियन श्रमदिनों के लक्ष्य के मुकाबले राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1992-93 के दौरान 714.97 मिलियन श्रम दिन सृजित किए गए हैं । इसलिए यह देखा जा सकता है कि 1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक निष्पादन 50% से अधिक रहा है ।

31-3-93 को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 490.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी रिलीज की गई थी । जिसके मुकाबले राज्य सरकारों द्वारा अपने मैचिंग अंश की 122.71 करोड़ रु० की राशि रिलीज की जानी थी । चंकि 490.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता 31.3.93 को दी गई, इसलिए 1992–93 के दौरान श्रमदिनों के सृजन हेतु लक्ष्य निर्धारित करते समय इस राशि को मद्दे नजर नहीं रखा गया ।

(ग) सूचना अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 167, अनुपत्र संख्या 25]

(घ) जवाहर रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों, पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजित करना है । इसलिए यह कार्यक्रम स्वलक्षीय है । 1993–94 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोटे तौर पर 1100 मिलियन श्रमदिन सृजित करने का प्रस्ताव है ।